

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/114794/MZP/MIRZAPUR/1267/CFO

दिनांक: 16-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AFFORDABLE GROUP HOUSHING** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **147, 467, 468-2, 469, 471, BARAUNDHA ANDAR, MIRZAPUR** तहसील - **SADAR** प्लॉट एरिया **2994.70 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **7486.74** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	13	1	38.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **AFFORDABLE GROUP HOUSHING** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स

AFFORDABLE GROUP HOUSHING अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1- भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया -2016 तथा भवन निर्माण एवं विकाश उपविधि के मानकों के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।

2- अधिभोग से पूर्व मानक के अनुसार अग्निशमन उपकरण स्थापित कराकर अग्निशमन विभाग से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANAND SINGH RAJPUT)

[B3D924756834CDE0B4D03928B517A508314C40A0]

23-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-04-2024
स्थान : MIRZAPUR